जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-12.02.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उधम सिंह स्टेडियम के पास युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.02.2025 को वादी श्री कमल पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम मुण्डेटकला थाना आदर्शमंडी जनपद शामली ने अपने भाई अंश जोकि उधम सिंह स्टेडियम में रेस लगाकर घर लौटते समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना का अनावरण कर अभियुक्तो की यथाशीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उधम सिंह स्टेडियम के पास एक युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त/अभियुक्ता उत्तम भाटी, राहुल, निक्की, मोनू, भोला उर्फ सिमांशु व अतुल को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कमल पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम शेखुपूरा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया मोबाईल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 11.02.2025 को वादी श्री सन्दीप शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा निवासी मौहल्ला अटल विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की दुकान से अज्ञात चोर द्वारा मोबाईल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये मोबाईल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अमित पुत्र बीरसैन निवासी मौहल्ला रामसागर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया गया मोबाईल फोन ओप्पो A 57

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 11/12.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.हनीफ पुत्र शरीफ उर्फ पथरा निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरी बरामदः-</u>

आज दिनांक 12.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध छुरी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.रजनीश कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बढौली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.एक अवैध छुरी।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम माननीय न्यायालय द्वारा 01 मामले में 01 अभियुक्त सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1. वर्ष 2006 में अभियुक्त अब्दुल पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1465A/2006 धारा 147/323/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI